

दैनिक

रोकथोक लेखनी

(R)

अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही देरी; कोर्ट की टिप्पणी



खबरें बे-रोकटोक

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

बेलासिस फ्लाईओवर सोमवार से बंद



मुंबई: मुंबई सेंट्रल और ग्रांट रोड के बीच 131 साल पुराना ब्रिटिश काल का बेलासिस फ्लाईओवर सोमवार से पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पुल अगले 18 महीनों तक यातायात के लिए बंद रहेगा। इस पुल को तोड़ना शुरू किया जाएगा और जल्द ही इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा।

अंधेरी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला गोखले ब्रिज जुलाई 2018 को ढह गया। उसके बाद आईआईटी, मुंबई के विशेषज्ञों द्वारा मुंबई के सभी पुलों का संरचनात्मक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पता चला कि मुंबई सेंट्रल-ग्रांट रोड के बीच बेलासिस ब्रिज खतरनाक है। तब यह सिफारिश की गई थी कि पुल की तुरंत मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जाए। इसी के तहत इस पुल को दोबारा बनाने का निर्णय लिया गया है। ब्रिज का काम पश्चिम रेलवे द्वारा किया जाएगा। पुल की कनेक्टिंग रोड का निर्माण मुंबई नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बेलासिस ब्रिज पर फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए खुला रहेगा।

बढ़ते मामलों से जज निराश! उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की भूमिका पर व्यक्त की नाराजगी



मुंबई: उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की भूमिका पर नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने बढ़ते मामलों की सुनवाई का दबाव नहीं झेल पाने पर निराशा व्यक्त की। गत 24 अप्रैल को संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष 99 मामले सूचीबद्ध किये गये थे। इनमें से कुछ को उन्होंने स्थगित कर दिया, जबकि कुछ मामलों की सुनवाई टाल दी। उस समय, न्यायाधीश ने दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा करने पर निराशा व्यक्त की। इसे जाहिर करने के लिए उन्होंने कहा कि वह इन मामलों की सुनवाई करने में असमर्थ हैं।

इसके अलावा, बड़ी संख्या में मामले दायर होने के कारण अधिकांश न्यायाधीशों पर इन्हें निपटारने का भारी

दबाव होता है। हालाँकि, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ ने

स्पष्ट किया कि संबंधित न्यायाधीश ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह स्वीकार्य नहीं है। साथ ही एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों को अपनी हताशा और असमर्थता व्यक्त करने के लिए ऐसी भाषा या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मामलों को स्थगित करने से बचना चाहिए। हर अदालत पर बढ़ते मामलों का बोझ है। इस समय लगभग हर अदालत में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। कोर्ट ने ये भी कहा, इसका मतलब ये नहीं कि जज इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करें। उस दिन संबंधित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए 99 मामले सूचीबद्ध थे और एक विशेष मामले में 12 अलग-अलग आवेदन किए गए थे, जिसे स्थगित कर दिया गया था। इन 12 आवेदनों को रखते हुए उस दिन न्यायाधीश के समक्ष कुल 111 मामले सूचीबद्ध थे।

मकान दिलाने का झांसा 60 महिलाओं से टगी करीब ढाई करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दो भाइयों के खिलाफ केस दर्ज



मुंबई: मालवणी पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ रुपये लेकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई है और मालवणी पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

मदू के शिवाजी नगर इलाके में रहने वाली साधना शिवाजी भंडारे (40) ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने भंडारे और 59 अन्य महिलाओं को शिवाजी नगर, मध में सीटीएस नंबर 677 में 60 कमरे उपलब्ध कराने का वादा किया था। शिकायत में कहा गया है कि इस संबंध में आरोपियों ने महिला मंडल की 60 महिलाओं

के साथ एक कागजी समझौता किया और प्रत्येक से 4 लाख रुपये लिए। अपराध 20 अगस्त 2016 से 21 जून 2024 के बीच हुआ। समझौता ज्ञापन के अनुसार, इन सभी महिलाओं ने आरोपियों को कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपये दिए, जो प्रत्येक के लिए 4 लाख रुपये हैं। लेकिन उस स्थान पर किसी भी प्रकार का कमरा बनाकर शिकायतकर्ता महिलाओं को नहीं दिया गया है। भंडारे ने शिकायत में कहा कि उन्हें अपना पैसा भी वापस नहीं मिला है। इस शिकायत के आधार पर मालवणी पुलिस ने दो भाइयों अविनाश भानजी और प्रमोद भानजी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मालवणी पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

माहिम और गोरेगांव स्टेशनों के बीच हार्बर लाइन पर 5 घंटे का जम्बो ब्लॉक



मुंबई: रेल पथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपकरणों के रख-रखाव के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा रविवार, 23 जून 2024 को माहिम तथा गोरेगांव स्टेशनों के बीच अप तथा डाउन हार्बर लाइनों पर 11.00 बजे से 16.00 बजे तक 5 घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान मध्य रेल की सभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-बांद्रा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एवं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पनवेल-गोरेगांव-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पनवेल हार्बर ट्रेन सेवाएं तथा चर्चिंग-गोरेगांव-चर्चिंग के बीच की धांभी सेवाएं निरस्त रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टर्स के पास उपलब्ध है। सेंट्रल रेलवे ने रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से विद्याविहार और सीएसएमटी से चूनाभट्टी और बांद्रा के बीच ब्लॉक की घोषणा की है। ऐसे में माहिम और गोरेगांव के बीच क्वार्टर रेलवे ने हार्बर लाइन पर ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान रेलवे ट्रेक का रखरखाव और मरम्मत की जाएगी। इसके चलते कुछ लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ देरी से चलेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सी लोकल लेट से आएगी। वहीं कौन सी रद्द हो गई है, आखिरी लोकल कब है?

सेंट्रल रेलवे
स्टेशन: सीएसएमटी से विद्याविहार
रूट: स्लो अप और डाउन
समय: सुबह 10.55 बजे से 3.25 बजे तक
परिणाम: ब्लॉक समय में स्लो रूट पर अप-डाउन लोकल यात्राओं को फास्ट रूट पर डायवर्ट किया जाएगा। इसके चलते कुछ लोकल रद्द रहेंगी और कुछ 20 से 25 मिनट की देरी से चलेंगी।
हार्बर रेलवे
स्टेशन: सीएसएमटी से चूनाभट्टी/बांद्रा
रूट: अप और डाउन
समय: सुबह 11.40 बजे से शाम 4.40 बजे तक
परिणाम: सीएसएमटी-वडाला से वाशी/बेलापुर/पनवेल और सीएसएमटी से बांद्रा-गोरेगांव के बीच चलने वाली ट्रेनें रद्द रहेंगी। सीएसएमटी से कुर्ली और वाशी से पनवेल के बीच विशेष ट्रेनें संचालित की जाएगी।

छोटा शकील के साले आरिफ शेख की मौत टेरर फंडिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी

मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ शेख उर्फ आरिफ भाईजान की दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में मौत हो गई है। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार आरिफ शेख छोटा शकील का साला था। वह अरेस्ट किए जाने के बाद से ही आर्थर रोड जेल में सजा काट रहा था। जेल में आरिफ को अचानक सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि, इलाज के दौरान आरिफ की मौत हो गई। उस पर अंडरवर्ल्ड

डॉन और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी छोटा शकील की मदद करने का आरोप था। 61 वर्ष के आरिफ शेख को मई 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर दाऊद इब्राहिम और शकील समेत दाऊद गिरोह के कई सदस्यों की मदद का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह पिछले दो साल से आर्थर रोड जेल में बंद था।
आरिफ को कोई परेशानी नहीं थी: रिश्तेदार
आरिफ शेख को सांस लेने में तकलीफ और छाती



अधिकारी हमें कुछ नहीं बता रहे हैं और हमने जेजे अस्पताल से जानकारी जुटाई।
आरिफ शेख और उसके भाई शब्बीर शेख को एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील सहित उसके कुछ करीबी सहयोगियों की मदद करने को लेकर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे बाद उसने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत का कहना था कि वह दाऊद इब्राहिम के संगठित अपराध सिंडिकेट

डी-कंपनी का सदस्य था। एनआईए ने फरवरी 2022 में हथियारों की तस्करी, नार्को-आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली नोटों को सिकुलेंट करने और अन्य आरोपों में कथित सलिपता के लिए दाऊद, उसके भाई अनीस और छोटा शकील सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर आतंकी फंड जुटाने के लिए संपत्ति को कब्जाने और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल कायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया गया था।



संपादकीय...



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

सीमा पर हो शांति!

भारत सरकार ने कहा है कि चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति महत्वपूर्ण है। रॉयटर की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

ने यह बात कही। रॉयटर ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सीमा पर गतिरोध के बीच भारत चीन के साथ सीधी उड़ान फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक नहीं है। चीन चार साल के ठहराव के बाद भारत के साथ सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए कह रहा है। लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि सीमा विवाद दोनों देशों के आपसी संबंधों पर भारी पड़ रहा है। सीधी उड़ान नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों से कहा कि चीन के साथ संबंध सामान्य होने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण है।

हालांकि, उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं कहा। उल्लेखनीय है कि जून 2020 में सैन्य झड़प के बाद से भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों पक्षों की ओर से हजारों सैनिक अभी भी सीमा पर डटे हुए हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार निखिल गुप्ता की ओर से भारतीय अधिकारियों को राजनयिक पहुंच का कोई अनुरोध नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उन्हें 14 जून को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। हमें अभी तक उनकी ओर से राजनयिक पहुंच के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है, लेकिन उनके परिवार ने हमसे संपर्क किया है।

editor@rookthoklekhani.com

+91 99877 75650

Faisal Shaikh @faisalrookthok

ROKTHOK
LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK

Watch Us On
YouTube

LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE

youtube@rookthoklekhani

बारिश के बीच सड़क धंसने से ट्रक पलटा

मुंबई: शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार को बोरीवली के पश्चिमी उपनगर में एक चौकाने वाली घटना हुई। चारकोप में हुई इस



घटना में एक ट्रक पलटा गया, जिससे इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इंटरनेट पर घटना के दृश्य सामने आए हैं, जिसमें ट्रक को उठाने और सड़क के धंसे हुए हिस्से से उसे हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को घटनास्थल पर इकट्ठा होते देखा जा सकता है, साथ ही अफरातफरी के बावजूद

ऑटोरिक्षा लगातार सड़क पर दौड़ रहे हैं। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच, मुंबई महानगर क्षेत्र



विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उल्टे में अटल सेतु को जोड़ने वाली एप्रोच रोड पर मामूली दरारें पाई गई हैं, पुल पर नहीं बल्कि सर्विस रोड पर। एमएमआरडीए ने जोर देकर कहा कि ये दरारें संरचनात्मक दोषों के कारण नहीं हैं और पुल की अखंडता के लिए कोई खतरा नहीं है। एजेंसी ने प्रसारित

समाचार को 'अफवाह' करार दिया और नागरिकों से उन पर विश्वास न करने का आग्रह किया।

एमएमआरडीए के अनुसार, गुरुवार को ऑपरेशन और रखरखाव टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान उल्टे से मुंबई की ओर जाने वाले रैंप नंबर 5 पर तीन स्थानों पर ये छोटी दरारें पाई गईं। अटल सेतु परियोजना के पैकेज 4 के ठेकेदार स्ट्राबैग द्वारा तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। यातायात को बाधित किए बिना मरम्मत का काम 24 घंटे के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। एमएमआरडीए के आधिकारिक बयान में कहा गया है, "अटल सेतु पुल के मुख्य भाग में कोई दरार नहीं है। विभिन्न मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कृपया उन पर विश्वास न करें। अटल सेतु को जोड़ने वाली एप्रोच रोड पर छोटी दरारें पाई गई हैं, मुख्य पुल पर नहीं। ये दरारें संरचनात्मक दोषों के कारण नहीं हैं और पुल को कोई खतरा नहीं है।"

अवैध रूप से बंधे हुए 12 देशी-विदेशी कुत्ते जब्त



ठाणे: कोपारी के हरिओम नगर इलाके में 10 विदेशी और दो घरेलू कुत्तों को अवैध रूप से एक गंदे स्थान पर शीट शेड में बांध दिया गया था। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था। पशु प्रेमी संगठनों के हस्तक्षेप के बाद इन कुत्तों को बचाया गया है। इनमें से तीन कुत्तों का प्राथमिक इलाज चल रहा है और बाकी कुत्तों की हालत स्थिर है। इन कुत्तों को पालने वाला व्यक्ति कंपनियों को उनकी सुरक्षा के लिए कुत्ते उपलब्ध कराने का काम करता है। उसके पास एक घोड़ा भी मिला है। एनिमल लवर्स एसोसिएशन ने बताया कि उसके पास कुत्ते का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। सिटीजन्स फॉर एनिमल प्रोटेक्शन (सीएपी) नामक संगठन को सूचना मिली कि हरिओम नगर में एक कब्रिस्तान के पीछे कुछ कुत्तों को अवैध रूप से बांधा जा रहा है। करीब एक सप्ताह पहले सीएपी संस्था के सदस्यों ने यहां का निरीक्षण किया था।

'रिमोट नियंत्रित विजुअल फ्लोट कैमरे' से सबवे का निरीक्षण



मुंबई: उच्च ज्वार के दौरान भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया, रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए और स्थानीय सेवाएं बाधित हो गईं। इस वर्ष, पश्चिम रेलवे ने मानसून के दौरान रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से रोकने के लिए माइक्रो-टनलिंग विधि, जल पंपिंग पंप की प्रणाली, रेलवे ट्रैक की सफाई के माध्यम से सात वर्षों के चैनल बनाए हैं। साथ ही, भारी बारिश के दौरान सीवरों का लगातार निरीक्षण करने के लिए 'रिमोट कंट्रोल विजुअल फ्लोट कैमरे' तैयार किए गए हैं। रिमोट नियंत्रित विजुअल फ्लोट कैमरों का उपयोग उन स्थानों पर किया जाएगा जहां रेलवे कर्मचारी या अन्य मशीनरी सबवे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

भारी बारिश की स्थिति में पश्चिम रेलवे पर ग्रांट रोड, प्रभादेवी, दादर, माटुंगा रोड, माहिम यार्ड, बांद्रा, खार, अंधेरी, जोगेश्वरी और वसई-विवार इलाकों में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। इसलिए यहां पर अंडरग्राउंड सीवर और नालियों का काम तेजी से किया गया है। ड्रेन से

बोरीवली-विवार खंड में प्री-मानसून कार्य की समीक्षा की गई। बरसात के दिनों में रेलवे कर्मचारियों के लिए सीवर में उतरना संभव नहीं होता है। इसलिए, सबवे का निरीक्षण करने के लिए रिमोट नियंत्रित विजुअल फ्लोट कैमरा का उपयोग किया जाएगा। यह कैमरा एक छोटी नाव से सबवे के हर पहलू के बारे में नवीनतम जानकारी एकत्र करेगा और संबंधित रेलवे अधिकारियों को प्रदान करेगा। रेलवे अधिकारी इस कैमरे को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इसके अलावा, यदि भूमिगत सीवरों में कोई समस्या है, तो पानी के प्रवाह में बाधा पाए जाने पर आगे के उपाय किए जाएंगे।

पश्चिम रेलवे के पास वर्तमान में 3 लाख रुपये की लागत वाले 30 रिमोट नियंत्रित विजुअल फ्लोट कैमरे हैं। ये कैमरे किसी निश्चित स्थान पर नहीं लगाए गए हैं। इसलिए इन्हें कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

लिव-इन पार्टनर का हत्यारा गिरफ्तार



मुंबई: नागपाड़ा पुलिस ने शुक्रवार रात अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने वाले 41 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। महिला से बहस के बाद आरोपी ने उसके पेट में चाकू से वार कर दिया। लेकिन यह दिखावा किया गया कि महिला किसी दुर्घटना में घायल हुई है। आखिरकार मेडिकल जांच में मौत की वजह सामने आने के बाद नागपाड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मृतक महिला की पहचान आरती सिंह (37) के रूप में हुई है और वह नागपाड़ा में सोलंकी उद्यान के फुटपाथ पर आरोपी सिराजुद्दीन जमालुद्दीन शेख उर्फ चांद (41) के साथ रहती थी। 12 जून को दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। गुस्से में चांद ने आरती को बुरी तरह पीटा और उसके पेट में चाकू घोंप दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरती को अग्नीपाड़ा के नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी ने झूठी सूचना दी कि मारपीट के दौरान उसके पेट में चाकू

मारा गया है। इलाज के दौरान 20 जून को आरती की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था।

महिला की मेडिकल जांच और पुलिस की जांच में पता चला कि उसे बुरी तरह पीटा गया और पेट में धारदार हथियार से वार किया गया। आरोपी ने पुलिस को झूठी सूचना दी थी कि दोनों के बीच विवाद के बाद आरती को कील ठोक दी गई है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत आरती की बहन रिहाना सैयद (नी सरस्वती सनप) की शिकायत पर चांद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद मोबाइल के जरिये आरोपी का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2021 में नागपाड़ा पुलिस ने आरोपी चांद के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू अभी तक जब्त नहीं किया गया है और उसकी तलाश जारी है।



गाड़ी चलाना सिखा रहा था; समय ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाया; हादसे में एक महिला की मौत, दो अन्य घायल



मुंबई: गाड़ी चलाना सीखते समय एक बुजुर्ग महिला की टक्कर से मौत हो गई. इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए और आरोपी ड्राइवर बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना सीख रहा था. कांदिवली पुलिस ने इस मामले में प्रशिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक महिला की मौत का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि मृत महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

कांदिवली इलाके में रहने वाला

टैक्सी ड्राइवर राजेंद्र गुप्ता शुक्रवार सुबह अपने दोस्त सुरेंद्र गुप्ता को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। कांदिवली में पोयसर गांवदेवी रोड और एस. सुरेंद्र वी रोड के बीच इलाके में मोटर चलाना सीख रहा था। राजेंद्र उसके पास बैठा उसे मार्गदर्शन दे रहा था। सुरेंद्र के पास मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। लेकिन फिर भी वह बिना लाइसेंस के मोटर चला रहा था। शुक्रवार सुबह करीब 10.45 बजे माय फेयर ग्रीन सोसायटी के पास सुरेंद्र ने ब्रेक की जगह जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। तो मोटर तेज गति से चल

पड़ी और मोटर ने सड़क से गुजर रही एक वृद्ध महिला सहित तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में वे तीनों घायल हो गये।

हादसे की जानकारी मिलते ही कांदिवली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों घायलों को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल पहुंचने पर बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य दो को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। इस मामले में, प्रवासकुमार महेश्वर बराल नामक एक घायल पैदल यात्री की शिकायत पर, कांदिवली पुलिस ने सुरेंद्र रमेश गुप्ता और राजेंद्र चिरकुड गुप्ता नामक दो लोगों के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक बुजुर्ग महिला की मौत और दो अन्य को घायल करने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने शुक्रवार देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

ठाणे में पहले गर्मी अब बारिश ने किया परेशान, 42 पेड़ गिरे



ठाणे: लगातार हो रही बरसात के चलते कई घटनाएं घटीं. ठाणे फायर ब्रिगेड कंट्रोल को पिछले 24 घंटों में 70 कॉल्स आये हैं. जिसमें से दो आग लगने की कॉल थी, 42 पेड़ गिरने के, 8 पेड़ की डाल गिरने की, 3 पेड़ गिर सकते हैं, 3 मेटल शीट गिरने के कॉल, 2 दीवार गिरने का कॉल, एक होर्डिंग के खतरनाक स्थिति में होने का कॉल और एक जगह जल जमाव होने का कॉल आया।

ठाणे में बीते दिनों कितनी हुई बारिश ?

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी ठाणे शहर और जिले में भी रातभर भारी बारिश हुई. ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि शहर में गुरुवार की सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटे की अवधि में 35.51 मिमी बारिश हुई. अधिकारियों के अनुसार गुरुवार सुबह साढ़े आठ

बजे से साढ़े नौ बजे के बीच शहर में 26.42 मिमी बारिश हुई.

लोगों को जल्द गड्डों से मिलेगी निजात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई की सड़कें अगले दो साल में गड्डों से मुक्त हो जाएंगी क्योंकि मौजूदा समय में सड़कों को क्रंक्रिट से तैयार करने का काम चल रहा है. शिंदे ने मुंबईवासियों से महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में प्रशासन के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने मुंबई के पूर्व शेरिफ और प्रख्यात न्यायविद स्वर्गीय नाना चूडास्मा की स्मृति में यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ समय पहले गहन स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया था और इससे प्रदूषण में कमी आई है. उन्होंने कहा, "पूरे शहर में सड़कों को पक्का करने का काम किया जा रहा है."

मुंबई: डकैती की तैयारी कर रहा आरोपी होटल से गिरफ्तार



मुंबई: दिंडोशी पुलिस की एक विशेष टीम ने गोरेगांव में डकैती की तैयारी कर रहे तीन आरोपियों को एक होटल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं. उसके खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं. आरोपी इलाके की एक बड़ी दुकान को लूटने की कोशिश कर रहे थे. इन तीनों के नाम मोहम्मद अली रफीक अंसारी, सलमान मोहम्मद रफीक अंसारी और नफीस मोहम्मद चौधरी उर्फ चपटा हैं और ये तीनों जी गोरेगांव के रहने वाले हैं. वार्ड, बीएमसी कॉलोनी निवासी मो. गोरेगा के साईबाबा कॉम्प्लेक्स में ओम सत्यम सुपर मार्केट नाम से एक दुकान है। पुलिस को डिंडो से सूचना मिली कि कुछ लोग रात में इस दुकान पर डकैती के मकसद से आएंगे. इस सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने पहले से ही साढ़े कपड़ों में

वहां निगरानी कर रखी थी. देर रात छह लोग वहां आए, उनकी गतिविधि संदिग्ध होने पर पुलिस ने शिताफी में छह में से तीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तलाशी ली तो दो लोहे के चाकू, दो भाले, एक तलवार, मिर्च पाउडर और अन्य सामान मिला। जांच में पता चला कि तीनों लूट के इरादे से वहां आये थे. दिंडोशी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी हेमंत रोडे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ डकैती की तैयारी करने का मामला दर्ज किया है. तीनों आरोपी सीरियल क्रिमिनल हैं. मोहम्मद अली के खिलाफ सात, सलमान मोहम्मद के खिलाफ आठ और नफीस के खिलाफ तीन गंभीर अपराध दर्ज हैं। इस ऑपरेशन के दौरान उनके तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. जांच में इनकी जानकारी मिल गई है और पुलिस इस मामले में संदिग्ध आरोपियों की तलाश कर रही है.

ठाणे: फुटबॉल खेल रहे बच्चों पर गिरा टीन शेट, सात खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल

ठाणे: मुंबई और उसके उपनगरों में पिछले दो दिनों से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. इस तूफानी हवा के कारण कुछ जगहों पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं. ऐसे में ठाणे में फुटबॉल खेल रहे बच्चों पर टिन शेट गिरने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि सात बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये. घटना शुक्रवार रात करीब आठ बजे की है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक,



शुक्रवार रात ठाणे के एक मैदान में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इसी समय अचानक बारिश और तेज हवा शुरू हो गयी. इस हवा के कारण पड़ोस की बिल्डिंग पर लगी टिन की चादर सीधे बच्चों पर गिर गई. इस

घटना में सात बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये. उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उधर इस घटना के बाद आज शिवसेना के शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाईक अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों से मुलाकात की. उन्होंने उन्हें सरकार की ओर से मदद का आश्वासन भी दिया. बात करें तो

जब ये घटना घटी तो यहां 17-18 लोग फुटबॉल खेल रहे थे. तेज हवा के कारण पड़ोस की बिल्डिंग से एक टीन की चादर बच्चों पर गिर गई. 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्होंने बताया कि इनमें से 4 ठीक हैं और 3 की हालत गंभीर है. आगे बोलते हुए उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इन बच्चों का इलाज चल रहा है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी.

बिल्डिंग के निर्माण के दौरान ध्वनि प्रदूषण; निवासी परेशान



मुंबई: 'आवाज फाउंडेशन' की सुमैरा अब्दुलअली ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल इलाके में पैनोरमा बिल्डिंग के निर्माण के दौरान ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया है. मुंबई और उसके आसपास बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के कारण नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि साउंडप्रूफिंग

सिस्टम लगाने, रात में काम न करने, सुबह 6 बजे से शाम तक ही काम करने और हवा को साफ रखने के लिए विशेष प्रणालियों का उपयोग करने जैसे नियम लागू किए गए हैं, लेकिन यह बताया गया है कि कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बीच, सुमैरा अब्दुलअली ने एक्स के जरिए बांद्रा वेस्ट में पैनोरमा

बिल्डिंग के निर्माण के दौरान ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को उजागर किया है। शनिवार सुबह उन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उस समय वहां शोर का स्तर 96.9 डेसिबल था. सुमैरा अब्दुलअली स्थानीय निवासी हैं. उन्होंने कहा कि इस शोर से यहां के निवासी आये दिन परेशान होते हैं.

मुंबई में कई जगहों पर विकास कार्य चल रहे हैं. इन कामों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के शोर और उड़ती धूल से मुंबईकर बीमार हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि निर्माण स्थल पर तय सीमा से अधिक शोर हो तो वहां 'शोर अवरोधक' लगाए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि इससे नागरिकों को निर्माण के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण से कुछ हद तक राहत मिलेगी.

अभिनेता अनुपम खेर के ऑफिस में चोरी करने के आरोप में दो गिरफ्तार

मुंबई: मशहूर अभिनेता अनुपम खेर के अंधेरी स्थित ऑफिस में चोरी करने वाले दो लोगों को अंबोली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. चोरी की जानकारी खुद खेर ने सोशल मीडिया के जरिए दी। ये चोर ऑफिस में घुसे और चार लाख पंद्रह हजार रुपये नकद और फिल्म 'मैंने गांधी को क्या मारा' की रील चुरा ली.

पुलिस ने 34,000 रुपये नकद और फिल्म की एक रील जब्त करने में सफलता हासिल की है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है. मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का अंधेरी के वीरा देसाई मार्ग इलाके में ऑफिस है। दो दिन पहले रात में काम खत्म करने के बाद कर्मचारी कार्यालय बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन एक कर्मचारी कार्यालय आया तो इस बार उसे चोरी का पता चला।



अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही देरी ; कोर्ट की टिप्पणी



मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह चौकाने वाली बात है कि गायकवाड़ के खिलाफ जांच अधिकारी मामले की जांच करने के बजाय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे का दावा दायर करने में अधिक रुचि रखते थे। जांच अधिकारियों को अपराध की जांच के लिए नियुक्त किया गया है, न कि ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजे का

दावा करने के लिए। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से परिचित नहीं था। पीठ ने केस रजिस्टर की स्थिति देखकर भी हैरानी जताई. साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया गया है या ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजे के लिए दावा दायर किया गया है. पुलिस ने अदालत को बताया था कि अपराध की जांच जारी है और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा।

विज्ञापन बोर्ड हादसा : एगो मीडिया द्वारा भेजे गए पैसे की जांच

जांच के दौरान तत्कालीन रेलवे पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद की पत्नी सुमन्ना कैसर खालिद का नाम आया सामने

मुंबई: चाटकोपर में एक विशाल विज्ञापन बोर्ड हादसे में 17 मुंबईकरों की जान चली गई। मुंबई पुलिस इस मामले में बिलबोर्ड लगाने वाली विज्ञापन कंपनी के लेनदेन की जांच कर रही है. इस जांच के दौरान तत्कालीन रेलवे पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद की पत्नी सुमन्ना कैसर खालिद का नाम भी सामने आया है. यह बात सामने आई है कि सुमन्ना के कारोबारी सहयोगी ने लाखों रुपये का गबन किया है.

मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पाया है कि "ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो अवैध 140X120 फीट होर्डिंग का मालिक है, ने 2021 और 2022 के बीच 39 लेनदेन के माध्यम से 10 अलग-अलग बैंक खातों में 46.5 लाख रुपये भेजे, सभी नाम पर अरशद खान के एक व्यक्ति द्वारा पैसे लेने की बात सामने आयी है.



रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अरशद खान सुमन्ना कैसर खालिद के साथ महारा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में सह-निदेशक हैं। कैसर खालिद ने बिना टेंडर बुलाए जमाखोरी की अनुमति दे दी थी। रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि दोनों (अरशद खान और सुमन्ना खालिद) को 28 जून 2022 को मुंबई स्थित कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। होर्डिंग की मंजूरी पर



प्रतिक्रिया के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने खालिद से संपर्क किया था। हालांकि, उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि, "एगो मीडिया कंपनी को तीन होर्डिंग्स का ठेका दिया गया था। इसलिए, जो चौथी होर्डिंग गिरी, उसका ठेका एगो मीडिया को बिना किसी औपचारिक निविदा प्रक्रिया के उन्हीं नियमों और शर्तों पर दे दिया गया," खालिद के एक करीबी सूत्र ने कहा।

संपर्क करने पर एसआईटी की

जांच की देखरेख कर रहे मुंबई पुलिस अपराध शाखा के डीसीपी विशाल ठाकुर ने भी जांच पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन, पुलिस सूत्रों ने कहा, "कथित तौर पर कंपनी से नहीं जुड़े लोगों के बैंक खातों में एगो मीडिया द्वारा भेजे गए पैसे की भी जांच की जाएगी।"

"पिछले कुछ वर्षों में एगो मीडिया द्वारा किए गए लेनदेन के अनुसार, एसआईटी को ऐसे व्यक्तियों के लिए 46.5 लाख रुपये के 39 लेनदेन मिले जो किसी भी तरह से कंपनी से संबंधित नहीं थे। मामले में आरोपी भावेश भिंडे और कंपनी के अन्य लोगों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अरशद खान ने उनसे चेक प्राप्तताओं के नाम गुमनाम रखने के लिए कहा था। बाद में, कंपनी को लगभग 10 खातों में जमा किए गए चेक मिले," सूत्रों ने कहा।

दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति किसी हाउसिंग सोसायटी का समिति सदस्य नहीं हो सकता - उच्च न्यायालय

मुंबई: निवाला हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति हाउसिंग सोसायटी का समिति सदस्य नहीं हो सकता है। साथ ही, दो से अधिक बच्चे होने पर एक को हाउसिंग सोसायटी की प्रबंध समिति का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित कर दिया गया।



न्यायमूर्ति अविनाश घोरेटे की एकल पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम के छोटे परिवार नियम के तहत अयोग्य ठहराया गया था। महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी

अधिनियम की धारा 73 सी, किसी व्यक्ति को हाउसिंग सोसायटी की प्रबंध समिति का सदस्य होने से अयोग्य ठहराने का आधार बताती

है। तदनुसार, अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति हाउसिंग सोसायटी की समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।

कादिवली पश्चिम के चारकोप क्षेत्र में कादिवली एकता नगर सहकारी आवास समिति की प्रबंध समिति के सदस्य पवन कुमार सिंह को म्हाडा के उप रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस निर्णय को संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार ने बरकरार रखा। इस आदेश को सिंह ने चुनौती दी थी. उनकी याचिका को खारिज करते हुए निवाला कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति हाउसिंग सोसायटी की समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।

11 स्लम योजनाओं को अतिरिक्त लाभ



मुंबई: 11 स्लम योजनाओं को विकास नियंत्रण विनियमन 33(11) योजना के नियम 33(12)(बी) को जोड़कर मेट क्षेत्र का अतिरिक्त लाभ मिला है, जो निर्माण के बदले डेवलपर्स को खुले बाजार में बिक्री के लिए मेट क्षेत्र प्रदान करता है। झुग्गीवासियों के लिए स्थायी पारगमन शिविर। हालांकि, प्राधिकरण ने दावा किया है कि इस योजना से वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि यह अपने शुरूआती चरण में है। नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले को उजागर किया है। प्राधिकरण के सूत्रों ने जानकारी दी है कि ऐसी 11 योजनाओं को यह लाभ दिया गया है. मालूम हो कि ये योजनाएं पश्चिमी उपनगरों, खासकर बांद्रा-खार इलाके में हैं. इस योजना का लाभ किसी अन्य योजना में स्थायी ट्रांजिट कैम्प का निर्माण करके भी उठाया जा सकता है, केवल इसके लिए जिस शहर या उपनगरों में योजना स्थित है, वहां ट्रांजिट कैम्प का निर्माण करना अनिवार्य है। चार मेट क्षेत्र प्रदान करने वाली यह योजना डेवलपर्स के लिए एक बड़ी बात बन गई है। इस योजना में मुख्यतः तीन मेट क्षेत्र उपलब्ध कराये जाते हैं तथा यदि सड़क

की चौड़ाई 18 मीटर से अधिक है तो चार मेट क्षेत्र उपलब्ध कराये जाते हैं। लेकिन जब प्रासंगिक योजना विनियमन 33(12)(बी) के साथ जोड़ा जाता है तो यह सड़क की चौड़ाई की परवाह किए बिना चार का एक चटाई क्षेत्र देता है। गगरानी ने पत्र में कहा है कि यह संबद्धता नगर निगम के अधिकार पर सीधा अतिक्रमण है. लेकिन स्लम पुनर्वास प्राधिकरण का कहना है कि नगर पालिका ने इसकी गलत व्याख्या की है. 33(10) स्लम पुनर्वास योजना के लिए और 33(11) स्थायी ट्रांजिट कैम्प के बदले कारपेट एरिया योजना के लिए। इसके अलावा पुरानी इमारतों के लिए नियम 33(5) और पुरानी इमारतों के लिए 33(7) को इस नियम से जोड़ा गया है. इसके अलावा सभी भवनों के लिए विनियम 33(30) और खाली भूखंडों के वाणिज्यिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए विनियम 33(19) को भी जोड़ योजना से जोड़ा गया है। सड़क पर अतिक्रमण या अवरोधों को हटाने के संबंध में 33(12)(बी) को नगर निगम के स्थानीय प्रभागीय अधिकारी द्वारा परिशिष्ट प्रमाणित करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके संलग्न किया जाएगा। इसके बाद ही जोड़ू अर्थात् संबद्धता प्रदान करती है।

सड़क पर वोटर आईडी कार्ड मिलने के मामले में शिक्षकों और कर्मचारियों को करना पड़ेगा कार्रवाई का सामना

कल्याण: कल्याण ग्रामीण चुनाव अधिकारी ने गुरुवार को डोंबिवली के पास पिसवली गांव में सड़क पर मिले मतदाता पहचान पत्र के मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में संबंधित मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (बीएलओ) के खिलाफ मामला दर्ज किया. अनुमान है कि कल्याण डोंबिवली, ठाणे नगर निगम स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इस कार्रवाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।



कल्याण ग्रामीण चुनाव विभाग, जिसने गुरुवार को सड़क पर मतदाता पहचान पत्र पाए जाने के बाद से कोई रुख नहीं अपनाया है, ने शुक्रवार दोपहर को मांग की कि कल्याण लोकसभा

उम्मीदवार वैशाली देकर लोकसभा चुनाव रद्द करें और फिर से चुनाव कराएं। अगले दो घंटों में, चुनाव विभाग, जो खराब शुरूआत से जागा था, तेजी से आगे बढ़ा। इस मामले के

लिए जिम्मेदार मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (ब्लैक लेवल ऑफिसर) के खिलाफ मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.

कल्याण ग्रामीण के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी विश्वास गुर्जर ने बताया कि पिसवली गांव की सीमा में सड़क पर एक बोरे में 720 पुराने मतदाता पहचान पत्र, पांच शैक्षणिक दस्तावेज मिले। ये सभी दस्तावेज स्कूल नंबर 19, नेतिवली, कल्याण पूर्व, कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के हैं।